PARLIAMENT OF INDIA
RAJYA SABHA SECRETARIAT

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI – 110 001

**RS/3/3/2016-Estt.(G)** **Dated the 8th February, 2019**

# C I R C U L A R
**(No. 5/2019)**

**Subject : Adoption of the Gazette Notifications issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions –reg.**

The following Gazette Notifications issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions stand adopted in this Secretariat (to the extent concerned) and the same are forwarded to all Officers/Sections and Pay & Accounts Office, Rajya Sabha for information and necessary action, if any :-

| S. No. | Gazette Number/ Date of Issue | Subject | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | F. No. 13/1/2017-Estt. (Pay-I) dated 19.11.2018 | The Fundamental (Amendment) Rules, 2018 - Amendment in FR 22(I)(a)(1)-reg | a) The Fundamental (Amendment) Rules, 2018 shall come into force **w.e.f. 19.11.2018.**<br>b) The Gazette Notification stand adopted in this Secretariat in entirety. |
| 2 | F. No. 11020/01/2017-Estt.(L) dated 14.12.2018 | Notification regarding leave as per 7th CPC recommendations | a) The Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2018 shall come into force **w.e.f. 14.12.2018.**<br>b) The amendments made in Rule 43-C, 44, 45 and 46 stand adopted in this Secretariat. |

*Sd/-*
**(T.KENNEDY JESUDOSSAN)**
**UNDER SECRETARY**
**PH. NO. 2303 4210**

**To,**

**(i) Pay & Accounts Office, Rajya Sabha**
**(ii) Estt. (A/cs) & Budget Section; and**
**(iii) All Officers/Section/PSs/PAs to Officers (through Intranet only).**

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 18—नवम्बर 24, 2018, शनिवार/कार्तिक 27—अग्रहायण 3, 1940
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 18—NOVEMBER 24, 2018, SATURDAY/KARTIKA 27—AGRAHAYANA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

## (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 370.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम, 1922 में नियम 22 के उपनियम (I) के खंड (क) में उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) जहां किसी अधिष्ठायी या अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में सावधिक पद से भिन्न कोई पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक, यथास्थिति, अधिष्ठायी, अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में ऐसी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो सुसंगत भर्ती नियमों में विहित की जाएं, किसी ऐसे अन्य पद पर प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वहां समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, एक वेतनवृद्धि देकर नियत किया जाएगा और उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर या सीधी भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों के सिवाय, सरकारी सेवक को यह विकल्प प्राप्त होगा जिसका वह, यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग कर सकेगा कि वह इस नियम के अधीन वेतन को ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से नियत कराए या वेतन को आरंभ में ही जिस पर वह नियमित आधार पर प्रोन्नत किया गया है उस पद के स्तर में अगले उच्चतर सैल में नियत कराए और तत्पश्चात् उस पद के स्तर में, जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को, उसका वेतन पुनः नियत किया जाएगा और उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, दो वेतन वृद्धियां (पहली वार्षिक वेतनवृद्धि के कारण उद्भूत तथा दूसरी प्रोन्नति के कारण उद्भूत) दी जाएगीं और उसे उस पद पर, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर पर समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि उस पद, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ प्रोन्नति के पश्चात् बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति कर दी जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से ग्राह्य होगा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख के एक मास के भीतर किया जाएगा:

ऐसे मामलों में जहाँ कोई अधिकारी उस पद पर नियमित होने से पूर्व तदर्थ रूप में सेवानिवृत्त हो गया है और तत्पश्चात् उसका नियमितीकरण की प्रक्रिया के दौरान निर्धारण किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उसके ऐसे कनिष्ठों के साथ ठीक पाया गया है, जो अभी भी सेवा में हैं तथा उस तारीख से जिसको सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सेवा में था, विकल्प की सुविधा लेने के लिए पात्र हैं, वहां विकल्प की वही सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी उस तारीख से, जब उसके कनिष्ठ विकल्प की सुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र हो गए थे, तीन मास के भीतर प्रयोग करने के लिए विस्तारित की जाएगी और उन मामलों में जहाँ ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं कनिष्ठतम था, वहां वह उस तारीख से, जिसको उसका आसन्न ज्येष्ठ विकल्प की सुविधा पाने के लिए पात्र हो गया था, तीन मास के भीतर विकल्प सुविधा का प्रयोग कर सकेगा:

परंतु जहां कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद पर नियमित आधार पर अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के ठीक पूर्व निम्नतर पद के स्तर का अधिकतम वेतन ले रहा है, वहां उच्चतर पद के स्तर में उसका प्रारंभिक वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसका वेतन निम्नतर पद के स्तर में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम को बढ़ाकर उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में नियत किया जाएगा, और यदि उस स्तर में, जिसमें उसे प्रोन्नत या नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।"

[फा. सं.13/1/2017-स्था.(वेतन-1)]

राजीव बाहरी, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम 1 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए थे और ये नियम निम्नलिखित ब्यौरानुसार पूर्व में संशोधित किए गए थे :-

1. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.2 (9)-ई III/61, तारीख 1.02.1963;
2. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(1)-ई III (ए)/65, तारीख 20.02.1965;
3. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 30.11.1965;
4. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए) /64, तारीख 01.10.1966;
5. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(3)-ई III (ए)/64-भाग II, तारीख 18.07.1967;
6. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)-ई III (ए)/68, तारीख 26.04.1968;
7. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 27.05.1970;
8. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.18(13)-ई IV(ए)/70 तारीख 29.01.1971;

9. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(9)-ई-III(ए)/74, तारीख 30.10.1974;

10. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)- पी.यू.आई/79 तारीख 23.11.1979;

11. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना सं.एफ-1(8)-पी.यू.आई/80 तारीख 29.01.1981;

12. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1/9/79-स्था. (वेतन-1), तारीख 06.10.1983;

13. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.13/5/84-स्था. (वेतन-1), तारीख 17.08.1984;

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना 13/5/84-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.9.1985;

15. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं.11/1/85-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.04.1986; तथा

16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-1), तारीख 30.08.1989.

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 19th November, 2018

**G.S.R.370.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:-

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 22, in sub-rule (I), in clause (a), for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) where a Government servant holding a post, other than a tenure post, in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity, as the case may be, subject to the fulfillment of the eligibility conditions as prescribed in the relevant Recruitment Rules, to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than those attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale shall be fixed by giving one increment in the level from which the Government servant is promoted and he or she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed and if no such cell is available in the level to which promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level.

Save in cases of appointment on deputation to an *ex cadre* post, or to a post on *ad hoc* basis or on direct recruitment basis, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment or to have the pay fixed initially at the next higher cell in the level of the post to which he or she is promoted on regular basis and subsequently, on the date of accrual of next increment in the level of the post from which Government Servant is promoted, his pay shall be re-fixed and two increments (one accrued on account of annual increment and the second accrued on account of promotion) shall be granted in the level from which the Government Servant is promoted and he or she shall be placed, at a cell equal to the figure so

arrived, in the level of the post to which he or she is promoted; and if no such cell is available in the level to which he or she is promoted, he or she shall be placed at the next higher cell in that level.

In cases where an *ad hoc* promotion is followed by regular appointment without break, the option is admissible from the date of initial appointment or promotion, to be exercised within one month from the date of such regular appointment.

In cases where an officer has retired as *ad hoc* before being regularised to that post and later on has been assessed during the process of regularisation and found fit by the competent authority along with his or her juniors, who are still in service and are eligible to avail of the option facility from a date on which the retired employee was still in service, the same option facility shall also be extended to the retired employee, to be exercised within three months from the date when his or her junior became eligible to avail of option facility and in cases where such retired employee was himself the junior most, he or she may exercise the option facility within three months from the date when his or her immediate senior became eligible to avail of option facility:

Provided that where a Government servant is, immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the level of the lower post, his initial pay in the level of the higher post shall be fixed at the cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the level of the lower post and if no such cell is available in the level to which he is promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level."

[F.No. 13/1/2017-Estt.(Pay-I)]

RAJEEV BAHREE, Under Secy.

**Note:** The Fundamental Rules came into force from 1st January, 1922 and these rules were amended earlier as per details below:-

1. Ministry of Finance Notification No.2(9)-E.III/61 dated 01.02.1963;
2. Ministry of Finance Notification No.1(1)-E.III(A)/65 dated 20.02.1965;
3. Ministry of Finance Notification No.1(25)-E.III(a)/64 dated 30.11.1965;
4. Ministry of Finance Notification No. F.I(25)-E.III(A)/64 dated 01.10.1966;
5. Ministry of Finance Notification No. 1(3)-E.III(a)/64-Pt.II dated 18.07.1967;
6. Ministry of Finance Notification No. 1(6)-E.III(A)/68 dated 26.04.1968;
7. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E.III(A)/64 dated 27.05.1970;
8. Ministry of Finance Notification No. 18(13)-E.IV(A)/70 dated 29.01.1971;
9. Ministry of Finance Notification No. 1(9)-E.III(A)/74 dated 30.10.1974;
10. Ministry of Home Affairs Notification No. 1(6)-P.U.I/79 dated 23.11.1979;
11. Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. F. 1(8)-P.U.I/80 dated 29.01.1981;
12. Ministry of Home Affairs Notification No.1/9/79-Estt.(Pay-I) dated 06.10.1983;
13. Ministry of Home Affairs Notification No.13/5/84-Estt.(Pay-I) dated 17.08.1984;
14. Department of Personnel and Training Notification No. 13/5/84-Estt.(Pay-I) dated 24.09.1985;
15. Department of Personnel and Training Notification No. 11/1/85-Estt.(Pay-I) dated 24.04.1986; and
16. Department of Personnel and Training Notification No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.1989.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940
No. 897] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
## (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1209(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 में, --

(अ) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :- '

"(क) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न) जो प्रावकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किश्तों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी ।

(ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के बीस दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परंतु एक कलैंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि, किसी वर्ष में किसी सरकारी सेवक ने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो अर्जित छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाए नियम 26 के अनुसार होगी ।";

(आ) नियम 29 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी और प्रावकाश विभाग में कार्यरत सरकारी सेवक से भिन्न) के अर्द्धवेतन छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में अर्द्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी ।';

(इ) नियम 43-ग,-

(क) के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बालकों की देखभाल के लिए चाहे वह पालनपोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरुरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरुरत के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम सात सौ तीस दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है ।'

(ख) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(3) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को संतान देखभाल की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-

(i) यह किसी कलैंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी;

(ii) एकल महिला सरकारी सेवक की दशा में एक कलैंडर वर्ष में तीन बार में छुट्टी को प्रदान करने को एक कलैंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जायेगा;

(iii) कतिपय विशेष परिस्थितियां जिसमें छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्तया परिवीक्षा के दौरान स्वीकृत नहीं की जाएगी परंतु अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती हो, न्यूनतम हों ।

(iv) संतान देखभाल छुट्टी एक साल में पांच दिन से कम की अवधि के लिए नहीं प्रदान की जाएगी ।';

'(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पहले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के सौ प्रतिशत, लेकिन अगले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा '

**स्पष्टीकरण :** 'एकल पुरुष सरकारी सेवक से – एक अविवाहित या विधुर या परित्यक्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है ।';

(ई) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'44— कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति (डब्ल्यू आर आई आई एल):-

यह किसी सरकारी सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी), जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी शासकीय कर्तव्यों के पालन के कारण हुई है या गम्भीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरुप हुई है को निम्नलिखित शर्तों पर, इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी जो छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, द्वारा कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डब्ल्यूआरआईआईएल कहा गया है) प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्

(1) डब्ल्यूआरआईआईएल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे ।

(2) अस्पताल में भर्ती के पश्चात्, डब्ल्यूआरआईआईएल निम्न प्रकार शासित होगी:

(क) एक सरकारी कर्मचारी (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न)- को अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते और उक्त छह माह की अवधि के पश्चात् बारह माह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा । अर्द्धवेतन अवधि को कर्मचारी छुट्टी खाते से विकलित अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की तत्स्थानी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकेगा ।

(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए – अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते, और केवल अगले चौबीस माह के लिए पूर्ण वेतन ।

(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की पंक्ति से नीचे के कार्मिकों के लिए- पूर्ण वेतन और जिनकी अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है ।

(3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू होता है को डब्ल्यूआरआईआईएल के अधीन संदत्त छुट्टी वेतन की रकम में से अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की रकम घटा दी जाएगी ।

(4) जब कर्मचारी डब्ल्यूआरआईआईएल पर है उस अवधि के दौरान कोई अर्जित छुट्टी या अर्द्धवेतन छुट्टी जमा नहीं होगी ।'

(उ) नियम 45 और 46 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 11020/01/2017-स्था.(एल)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी,संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II , खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना सं का.आ. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

| **क्र.सं.** | **अधिसूचना संख्यांक** | **तारीख** | **सा.का.नि. सं.** | **सा.का.नि.तारीख** |
|---|---|---|---|---|
| **1**. | 16(3)-ई.IV(ए)/71 | 11.1.1972 | 2724 | 4.11.1972 |
| 2. | 4(7)-ई.IV(ए)/72 | 30.4.1973 | 1399 | 19.5.1973 |
| 3. | 5(15)-ई.IV(ए)/73 | 13.7.1973 | 821 | 14.8.1973 |
| 4 | 14(10)-ई.IV(ए)/73 | 11.6.1974 | आसानी से उपलब्ध नहीं | |
| 5. | 5(8)-ई.IV(ए)/73 | 19.7.1974 | 818 | 3.8.1974 |
| 6. | 14(8)-ई.IV(ए)/74 | 2.11.1974 | 1242 | 23.11.1974 |
| 7. | 16(3)-ई.IV(ए)/74 | 20.12.1974 | 1374 | 28.12.1974 |
| 8. | 16(5)-ई.IV(ए)/74 | 11.4.1975 | 526 | 26.4.1975 |
| 9. | 16(8)-ई.IV(ए)/74 | 26.5.1975 | 686 | 7.6.1975 |
| 10 | 4(1)-ई.IV(ए)/74 | 24.6.1975 | 834 | 12.7.1975 |
| 11. | 16(8)-ई.IV(ए)/74 | 20.9.1975 | 2876 | 27.12.1975 |
| 12. | 5(7)-ई.IV(ए)/75 | 2.12.1975 | 2877 | 27.12.1975 |
| 13. | 5(16)-ई.IV(ए)/73 | 15.1.1976 | आसानी से उपलब्ध नहीं | |
| 14. | 16(6)-ई.IV(ए)/73 | 31.7.1976 | 1184 | 14.8.1978 |
| 15. | 16(3)-ई.IV(ए)/76 | 7.10.1976 | 1587 | 13.11.1976 |
| 16. | 4(9)-ई.IV(ए)/76 | 14.3.1977 | 611 | 14.5.1977 |
| 17. | 14(11)-ई.IV(ए)/76 | 12.9.1978 | 1159 | 23.9.1978 |
| 18. | 14025/1/78-ई.IV(ए) | 4.10.1978 | 1255 | 15.9.1979 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | 13024/1/76-ई.IV(ए) | 29..8.1979 | 1150 | 15.9.1979 |
| 20. | 11022/1/77-ई.IV(ए) | 21.11.1979 | 1422 | 1.12.1979 |
| 21. | 14018/1/80-एलयू | 21.11.1980 | 1260 | 13.12.1980 |
| 22. | 16(19)-ई.IV(ए)/76 | 31.12.1980 | 263 | 24.11.1981 |
| 23. | 11012/2/80-स्था.(एल) | 24.8.1981 | 811 | 5.9.1981 |
| 24 | 14028/9/1980-स्था.(एल) | 1.10.1981 | 927 | 7.10.1981 |
| 25. | 14025/9/80-स्था.(एल) | 16.4.1982 | 423 | 8.5.1982 |
| 26. | 13023/2/81-स्था.(एल) | 16.4.1983 | 430 | 4.6.1983 |
| 27. | 14028/8/82-स्था.(एल) | 27.7.1983 | 489 | 13.8.1983 |
| 28. | 131023/2/81-स्था.(एल) | 12.10.1983 | 804 | 5.11.1983 |
| 29. | 14028/6/81-स्था.(एल) | 17.10.1973 | 350 | 24.3.1983 |
| 30. | 13015/11/82-स्था.(एल) | 25.5.1984 | 566 | 9.6.1984 |
| 31. | 18011/3/80-स्था.(एल) | 12.7.1984 | 788 | 28.7.1984 |
| 32. | 14028/1/81-स्था.(एल) | 19.7.1984 | 817 | 4.8.1984 |
| 33. | 14028/16/82-स्था.(एल) | 31.5.1985 | 558 | 15.6.1985 |
| 34. | 13014/1/85-स्था.(एल) | 3.12.1985 | 1139 | 14.12.1985 |
| 35. | 14028/19/86-स्था.(एल) | 9.12.1986 | 1072 | 14.12.1985 |
| 36. | 13023/20/84-स्था.(एल) | 11.12.1986 | 1102 | 27.12.1986 |
| 37. | 13014/1/87-स्था.(एल) | 17.6.1987 | 515 | 4.7.1987 |
| 38. | 11012/1/85-स्था.(एल) | 23.6.1987 | 516 | 4.7.1988 |
| 39. | 14028/18/86-स्था.(एल) | 23.3.1988 | 260 | 9.4.1988 |
| 40. | 11012/1/85-स्था.(एल) | 6.6.1988 | 476 | 18.6.1988 |
| 41. | 13012/12/86-स्था.(एल) | 10.3.1989 | 198 | 25.3.1989 |
| 42. | 13026/2/90-स्था.(एल) | 22.10.1990 | 55 | 26.1.1991 |
| 43. | 11014/3/89-स्था.(एल) | 2.5.1991 | 303 | 18.5.1991 |
| 44. | 11014/3/89-स्था.(एल) | 21.1.1992 | 49 | 8.2.1992 |
| 45. | 13026/2/90-स्था.(एल) | 4.3.1992 | 119 | 14.3.1992 |
| 46. | 13026/2/90-स्था.(छुट्टी) | 20.4.1993 | 225 | 8.5.1993 |
| 47. | 13018/7/94-स्था.(एल) | 31.3.1995 | 317(अ) | 31.3.1995 |
| 48. | 14028/10/91-स्था.(एल) | 8.8.1995 | 385 | 19.8.1995 |
| 49. | 14028/4/91-स्था.(एल) | 18.9.1995 | 442 | 7.10.1995 |
| 50. | 14015/2/97-स्था.(एल) | 31.12.1997 | 727(अ) | 31.12.1997 |
| 51. | 13026/1/99-स्था.(एल) | 18.4.2002 | 149 | 27.4.2002 |
| 52. | 13026/1/2002-स्था.(एल) | 15/16.1.2004 | 186 | 5.6.2004 |
| 53. | 14028/1/2004-स्था.(एल) | 13.2.2006 | 47 | 4.3.2006 |
| 54. | 13018/1/2004-स्था.(एल) | 31.3.2006 | 91 | 27.4.2006 |
| 55. | 13023/3/98-स्था.(एल) | 26.10.2007 | 229 | 3.11.2007 |
| 56. | 11012/1/2009-स्था.(एल) | 1.12.2009 | 170 | 5.12.2009 |
| 57. | 13026/1/2010-स्था.(एल) | 12.5.2011 | 160 | 12.5.2011 |
| 58. | 13026/1/2010-स्था.(एल) | 5.8.2011 | 601(अ) | 5.8.2011 |
| 59. | 14028/1/2010-स्था.(एल) | 26.8.2011 | 646(अ) | 26.8.2011 |
| 60. | 13018/4/2011-स्था.(एल) | 27.8.2011 | 648 (अ) | 27.8.2011 |
| 61. | 13026/4/2011-स्था.(एल) | 26.12.2011 | 898 (अ) | 26.12.2011 |
| 62. | 13026/3/2011-स्था.(एल) | 28.3.2012 | 255 (अ) | 28.3.2012 |
| 63. | 13026/2/2010-स्था.(एल) | 29.3.2012 | 261 (अ) | 29.3.2012 |
| 64. | 13026/5/2011-स्था.(एल) | 4.4.2012 | 283(अ) | 4.4.2012 |
| 65. | 13026/4/2012-स्था.(एल) | 18.2.2014 | 96(अ) | 18.02.2014 |
| 66. | 13026/4/2012-स्था.(एल) | 17.4.2014 | 286(अ) | 21.04.2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67. | 13018/6/2013-स्था.(एल) | 09.10.2014 | 711(अ) | 09.10.2014 |
| 68. | 13026/2/2016-स्था.(एल) | 15.3.2017 | 251(अ) | 15.03.2017 |
| 69. | 13023/1/2017-स्था.(एल) | 1.1.2018 | 08(अ) | 03.01.2018 |
| 70. | 18017/1/2014-स्था.(एल) | 3.4.2018 | 438(अ) | 09.05.2018 |
| 71. | 13018/6/2013-स्था.(एल) | 6.6.2018 | 554(अ) | 13.06.2018 |

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2018

**G.S.R. 1209(E).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, —

(A) in rule 28, in sub-rule (1) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) The leave account of every Government servant (other than a military officer) who is serving in a Vacation Department shall be credited with earned leave, in advance' in two installments of five days each on the first day of January and July of every calendar year.

(b) In respect of any year in which a Government Servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of twenty days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total earned leave credited shall not exceed thirty days in a calendar year.

(c) If, in any year, the Government servant does not avail any vacation, earned leave will be as per Rule 26 instead of clauses (a) and (b).";

(B) in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The half pay leave account of every Government servant (other than a military officer and a Government servant serving in a Vacation Department) shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.";

(C) in rule 43-C. (a) ~~for~~ sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely";

"(1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant and single male Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service for taking care of two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like." ;

(b) for sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(3) Grant of child care leave to a female Government servant and a single male Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;

(ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year.

(iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.

(iv) child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.

(4) During the period of child care leave, a female Government servant and a single male Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty five days.

***Explanation.*** —~~S~~ingle Male Government Servant' means – an unmarried or widower or divorcee Government servant.";

(D) for rule 44, the following rule shall be substituted, namely:-

"44. Work Related Illness and Injury Leave:-

The authority competent to grant leave may grant Work Related Illness and Injury Leave ( herein after referred to as WRIIL) to a Government servant (whether permanent or temporary), who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position subject to the provisions contained in sub-rule (1) of rule 19 of these rules, on the following conditions, namely :

(1) Full pay and allowances shall be granted to all employees during the entire period of hospitalisation on account of WRIIL.

(2) Beyond hospitalization, WRIIL shall be governed as follows:

(a) A Government servant (other than a military officer) full ~~pay~~ and allowances for the six months immediately following hospitalisation and Half Pay for twelve months beyond the said period of six months. The Half Pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of Half Pay Leave debited from the employees leave account.

(b) For officers of Central Armed Police Forces full ~~p~~pay and allowances for six months immediately following the hospitalisation and full pay only for the next twenty four months.

(c) For personnel below the rank of officer of the Central Armed Police Forces full pay and allowances, with no limit regarding period.

(3) In the case of persons to whom the Workmen's Compensation Act, 1923 applies, the amount of leave salary payable under WRIIL shall be reduced by the amount of compensation paid under the Act.

(4) No Earned Leave or Half Pay Leave shall be credited during the period that employee is on WRIIL.".

(E) rules 45 and 46 shall be omitted.

[F. No. 11020/01/2017 -Estt(L)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 8th April, 1972 *vide* number S.O. 940 dated the 15th March, 1972 and have been subsequently amended *vide*:

| S. No. | Number of the notification | Date | GSR. No. | GSR date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16(3)-E.IV(A)/71 | 11.1.1972 | 2724 | 4.11.1972 |
| 2 | 4(7)-E.IV(A)/72 | 30.4.1973 | 1399 | 19.5.1973 |
| 3 | 5(15)-E.IV(A)/73 | 13.7.1973 | 821 | 14.8.1973 |
| 4 | 14(10)-E.IV(A)/73 | 11.6.1974 | Not readily available | |
| 5 | 5(8)-E.IV(A)/73 | 19.7.1974 | 818 | 3.8.1974 |
| 6 | 14(8)-E.IV(A)/74 | 2.11.1974 | 1242 | 23.11.1974 |
| 7 | 16(3)-E.IV(A)/74 | 20.12.1974 | 1374 | 28.12.1974 |
| 8 | 16(5)-E.IV(A)/74 | 11.4.1975 | 526 | 26.4.1975 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 16(8)-E.IV(A)/74 | 26.5.1975 | 686 | 7.6.1975 |
| 10 | 4(1)-E.IV(A)/74 | 24.6.1975 | 834 | 12.7.1975 |
| 11 | 16(8)-E.IV(A)/74 | 20.9.1975 | 2876 | 27.12.1975 |
| 12 | 5(7)-E.IV(A)/75 | 2.12.1975 | 2877 | 27.12.1975 |
| 13 | 5(16)-E.IV(A)/73 | 15.1.1976 | Not readily available | |
| 14 | 16(6)-E.IV(A)/74 | 31.7.1976 | 1184 | 14.8.1978 |
| 15 | 16(3)-E.IV(A)/76 | 7.10.1976 | 1587 | 13.11.1976 |
| 16 | 4(9)-E.IV(A)/76 | 14.3.1977 | 611 | 14.5.1977 |
| 17 | 14(11)-E.IV(A)/76 | 12.9.1978 | 1159 | 23.9.1978 |
| 18 | 14025/1/78-E.IV(A) | 4.10.1978 | 1255 | 21.10.1978 |
| 19 | 13024/1/76-E.IV(A) | 29.8.1979 | 1150 | 15.9.1979 |
| 20 | 11022/1/77-E.IV(A) | 21.11.1979 | 1422 | 1.12.1979 |
| 21 | 14018/1/80-LU | 21.11.1980 | 1260 | 13.12.1980 |
| 22 | 16(19)-E.IV(A)/76 | 31.12.1980 | 263 | 24.11.1981 |
| 23 | 11012/2/80-Est.(L) | 24.8.1981 | 811 | 5.9.1981 |
| 24 | 14028/9/80-Est.(L) | 1.10.1981 | 927 | 17.10.1981 |
| 25 | 14025/9/80-Est.(L) | 16.4.1982 | 423 | 8.5.1982 |
| 26 | 13023/2/81-Est.(L) | 16.4.1983 | 430 | 4.6.1983 |
| 27 | 14028/8/82-Est.(L) | 27.7.1983 | 489 | 13.8.1983 |
| 28 | 131023/2/81-Est.(L) | 12.10.1983 | 804 | 5.11.1983 |
| 29 | 14028/6/81-Est.(L) | 17.10.1973 | 350 | 24.3.1983 |
| 30 | 13015/11/82-Est.(L) | 25.5.1984 | 566 | 9.6.1984 |
| 31 | 18011/3/80-Est.(L) | 12.7.1984 | 788 | 28.7.1984 |
| 32 | 14028/1/81-Est.(L) | 19.7.1984 | 817 | 4.8.1984 |
| 33 | 14028/16/82-Est.(L) | 31.5.1985 | 558 | 15.6.1985 |
| 34 | 13014/1/85-Est.(L) | 3.12.1985 | 1139 | 14.12.1985 |
| 35 | 14028/19/86-Est.(L) | 9.12.1986 | 1072 | 14.12.1985 |
| 36 | 13023/20/84-Est.(L) | 11.12.1986 | 1102 | 27.12.1986 |
| 37 | 13014/1/87-Est.(L) | 17.6.1987 | 515 | 4.7.1987 |
| 38 | 11012/1/85-Est.(L) | 23.6.1987 | 516 | 4.7.1988 |
| 39 | 14028/18/86-Est.(L) | 23.3.1988 | 260 | 9.4.1988 |
| 40 | 11012/1/85-Est.(L) | 6.6.1988 | 476 | 18.6.1988 |
| 41 | 13012/12/86-Est.(L) | 10.3.1989 | 198 | 25.3.1989 |
| 42 | 13026/2/90-Est.(L) | 22.10.1990 | 55 | 26.1.1991 |
| 43 | 11014/3/89-Est.(L) | 2.5.1991 | 303 | 18.5.1991 |
| 44 | 11014/3/89-Est.(L) | 21.1.1992 | 49 | 8.2.1992 |
| 45 | 13026/2/90-Est.(L) | 4.3.1992 | 119 | 14.3.1992 |
| 46 | 13026/2/90-Est.(Leave) | 20.4.1993 | 225 | 8.5.1993 |
| 47 | 13018/7/94-Estt.(L) | 31.3.1995 | 317(E) | 31.3.1995 |
| 48 | 14028/10/91-Estt.(L) | 8.8.1995 | 385 | 19.8.1995 |
| 49 | 14028/4/91-Estt.(L) | 18.9.1995 | 442 | 7.10.1995 |
| 50 | 14015/2/97-Estt.(L) | 31.12.1997 | 727(E) | 31.12.1997 |
| 51 | 13026/1/99-Estt.(L) | 18.4.2002 | 149 | 27.4.2002 |
| 52 | 13026/1/2002-Estt.(L) | 15/16.1.2004 | 186 | 5.6.2004 |
| 53 | 14028/1/2004-Estt.(L) | 13.2.2006 | 47 | 4.3.2006 |
| 54 | 13018/4/2004-Estt.(L) | 31.3.2006 | 91 | 27.4.2006 |
| 55 | 13023/3/98-Estt.(L), Vol.II | 26.10.2007 | 229 | 3.11.2007 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 11012/1/2009-Estt.(L) | 1.12.2009 | 170 | 5.12.2009 |
| 57 | 13026/1/2010-Estt.(L) | 12.5.2011 | 160 | 12.5.2011 |
| 58 | 13026/5/2010-Estt.(L) | 5.8.2011 | 601(E) | 5.8.2011 |
| 59 | 14028/1/2010-Estt.(L) | 26.8.2011 | 646(E) | 26.8.2011 |
| 60 | 13018/4/2011-Estt.(L) | 27.8.2011 | 648(E) | 27.8.2011 |
| 61 | 13026/4/2011-Estt.(L) | 26.12.2011 | 898(E) | 26.12.2011 |
| 62 | 13026/3/2011-Estt.(L) | 28.3.2012 | 255(E) | 28.3.2012 |
| 63 | 13026/2/2010-Estt.(L) | 29.3.2012 | 261(E) | 29.3.2012 |
| 64 | 13026/5/2011-Estt.(L) | 4.4.2012 | 283(E) | 4.4.2012 |
| 65 | 13026/4/2012-Estt.(L) | 18.2.2014 | 96(E) | 18.02.2014 |
| 66 | 13026/4/2012-Estt.(L) | 17.4.2014 | 286(E) | 21.04.2014 |
| 67 | 13018/6/2013-Estt. (L) | 09.10.2014 | 711€ | 09.10.2014 |
| 68 | 13026/2/2016-Estt.(L) | 15.3.2017 | 251(E) | 15.03.2017 |
| 69 | 13023/1/2017-Estt.(L) | 01.1.2018 | 08(E) | 03.01.2018 |
| 70 | 18017/1/2014-Estt (L) | 3.4.2018 | 438(E) | 09.05.2018 |
| 71 | 13018/6/2013 -Estt (L) | 6.6.2018 | 554(E) | 13.06.2018 |

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.18 18:47:46 +05'30'